न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 137/2015
दायर दिनांकः 15.12.2015
निर्णय दिनांक 13.01.2025

—: अनवान :—

हिम्मत सिंह पिता नवलसिंह जी जाति राजपूत आयु 38 वर्ष, निवासी ग्राम उमठी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज०) **— प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत पीपलांत्री जरिये सरपंच/सचिव महोदय, ग्राम पंचायत पीपलांत्री, तहसील व जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्रीमती समुन्द्र बाई पत्नि कानसिंह जी, जाति राव, आयु 57 वर्ष, निवासी उमठी, तहसील व जिला राजसमन्द राजस्थान

— गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 पट्टा क्रमांक 41 दिनांक 20.12.2004 पत्रावली दायर सख्या 69 द्वारा ग्राम पंचायत पीपलान्त्री को निरस्त कराने बाबत

उपस्थितः—

1— श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित
3— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकर ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 पट्टा क्रमांक 41 दिनांक 20.12.2004 पत्रावली दायर सख्या 69 द्वारा ग्राम पंचायत पीपलान्त्री को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत पीपलान्त्री पंचायत समिती राजसमन्द में विपक्षी संख्या 2 के पति कानसिंह पिता चतरसिंह जी राव वर्षों तक प्रभावशाली वार्ड पंच रहे है, तथा विपक्षी संख्या 2 वर्तमान में ग्राम पंचायत पीपलान्त्री की वार्डपंच है तथा गाँव उमठी का ठिकानेदार होकर काफी धनाढ्य व्यक्ति है तथा इनके नाम से 2—3 खनन लीज भी स्वीकृत करा रखी है तथा उच्च आप वर्ग का व्यक्ति है। विपक्षी संख्या 2 के पति ने ग्राम उमठी तहसील राजसमन्द ने अपने प्रभाव का नाजायज लाभ उठा गलत रूप से सरकारी एवं नाडी

सार्वजनिक कुऐ की भूमियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करता रहता है। ग्राम उमठी की आराजी नम्बर 97 किस्म नाडी रही तथा यह जगह जल भराव क्षेत्र है। माह नवम्बर 2015 में प्रार्थी / निगराकार ने ग्राम उमठी की आराजी नम्बर 97 नाडी की भूमि के सम्बन्ध में जानकारी की तथा सूचना के अधिकार में ग्राम पंचायत से इस भूमि के सम्बन्धित दस्तावेज निकलवाये, तो जाहिर आया कि विपक्षी संख्या 2 एवं उसके पति ने विपक्षी संख्या 1 से मिलीभगत कर फर्जीवाडा करते हुऐ आराजी नम्बर 97 की भूमि को आराजी नम्बर 235/9 की भूमि बताते हुऐ उपरोक्त पट्टा गलत आधारों पर पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 क, ख 158 क, ख, ग के अन्तर्गत गलत रूप से आराजी नम्बर 97 किस्म नाडी की भूमि को आराजी नम्बर 235/9 की भूमि बताते हुऐ गलत पट्टा जारी किया, जिसके सम्बन्ध मे निगराकार ने निम्न आधारो पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा जारी करने में विधितः एवं तथ्यतः भूल की है। विपक्षी संख्या 2 के पति कानसिंह काफी वर्षों से लगातार ग्राम पंचायत पीपलान्त्री का प्रभावशाली वार्ड पंच रहा है तथा गाँव उमठी का ठिकानेदार होकर मार्बल खनन क्षेत्र में काफी खनन लीज का मालिक है। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्षी संख्या 2 जो वार्ड पंच कानसिंह की पत्नि है के नाम पट्टा जारी कराया है। विपक्षीगण ने मिलीभगत कर ग्राम पंचायत उमठी की आराजी नम्बर 97 किस्म नाडी की भूमि पर गलत रूप से आराजी नम्बर 235/9 की भूमि बताते हुऐ पट्टा जारी करा लिया, जो कानूनन गलत होकर अवैद्य है। विपक्षी संख्या 1 को आराजी नम्बर 97 किस्म नाडी की भूमि के सम्बन्ध में पट्टा जारी करने का अधिकार नही है। कानूनन् इस भूमि का पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है। पट्टा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 एवं 158 के अन्तर्गत जारी करना बताया गया है। धारा 157 के अन्तर्गत का पट्टा केवल निर्मित मकान के सम्बन्धित ही जारी किया जा सकता है, भूखण्ड के लिये नहीं । विपक्षी संख्या 2 सम्पन्न, धनाढ्य परिवार की सदस्य है, विपक्षी संख्या 2 का पति काफी वर्षों से वार्ड पंच ग्राम पंचायत पीपलान्त्री का रहा है तथा विपक्षी संख्या 2 के पत्ति ने मार्बल खनिज की 3–4 लीजे स्वीकृत है, विपक्षी संख्या 2 कमजोर वर्ग की सदस्या नहीं है। विपक्षी संख्या 2 का प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा। विपक्षीगण ने वार्डपंच कानसिंह से मिलीभगत कर अनैतिक प्रभाव से आकर गलत रूप से पट्टा जारी किया जो काबिल खारिज के है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि वर्ष 2004 में भी 2 लाख रूपयें से उपर थी। यदि निलामी में भूखण्ड विक्रय किया जाता तो पंचायत को काफी आय होगी, मगर विपक्षी संख्या 1 ने कानसिंह वार्ड पंच से मिलीभगत कर प्रश्नगत पट्टा कानसिंह की पत्नि विपक्षी संख्या 2 के नाम तथा इसी भूखण्ड के पास ही भूमि वार्डपंच कानसिंह ने अपनी बहन के नाम जारी करवा ली, जबकि इन भूखण्डों पर 25 वर्षों से कब्जा होने की बात गलत बताई है। तथा जो गवाहान के शपथ पत्र / बयान कराये है वो दोनो विपक्षी संख्या 2 के खेतो पर मजदूरी करते है। तथा प्रश्नगत पट्टे के भूखण्ड से करीब एक किलोमीटर दूर रहते है। उक्त पट्टे की कार्यवाही विपक्षीगण ने मिलीभगत कर पंचायत की बेशकिमती भूमि को हडपने के उद्देश्य से कराई है जो काबिल खारिज के है विपक्षी संख्या 2 के ग्राम उमठी में तीन आवासीय मकान है, जिसमें एक मकान रेबारियो की ढाणी मे माताजी के मन्दिर के सामने जो नाजायज रूप से सार्वजनिक कुडी (कुऐ) पर निर्मित किया गया है। दूसरा मकान देवा व मूला रेबारी के मकान के पास तथा तीसरा मकान शंकर रेबारी (उक्त पट्टा के पास) के मकान के पास है। विपक्षी संख्या 2 ने गलत रूप से आवासीय कान नहीं होने का झूठा कथन करते हुऐ गलत पट्टा प्राप्त किया है। प्रश्नगत पट्टे की पत्रावली संख्या 69 एवं विपक्षी संख्या 2 की नणद यानि विपक्षी संख्या 2 के पति कानसिंह की बहिन रतन कुंवर के नाम की पत्रावली देखने से ही स्पष्ट है कि दोनो भूखण्ड को किस प्रकार एक साथ

न्यायालय जिला कलक्टर

नाजायज लाभ प्राप्त करने एवं पंचायत की बेशकीमती भूखण्डो को बिना निलाम किये किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये निर्मित की गई है। विपक्षी संख्या 2 ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया, वह गलत एव झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस शपथ पत्र में विपक्षी संख्या 2 ने यह कथन किया है कि उसके अथवा उसके परिवार को पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा कोई भूखण्ड आवंटन नहीं किया गया है, जबकि विपक्षी संख्या 2 के पति कानसिंह ने इससे पूर्व ही दो तीन पट्टे ग्राम पंचायत से प्राप्त कर रखे है, ग्राम पंचायत में गलत शपथ पत्र जो प्रश्नगत पट्टा प्राप्त किया है, वह अवैध व गलत है। विपक्षीगण के मिलीभगत कर ग्राम उमठी की सार्वजनिक उपयोग की नाडी जो जल संग्रहण की भूमि आराजी नम्बर 97 नाडी है, जहां प्रार्थी एवं समस्त ग्रामवासियों के मवेशी पानी पीने कि भूमि को अवैध रूप से आराजी नम्बर 235/9 की भूमि बता विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में प्रश्नगत प्रट्टा जारी किया गया है, जिससे प्रार्थी की प्रभावित व पीडित पक्षकार है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 41 दिनांक 20.12.2004 जो पत्रावली संख्या 69 के जरिये जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे तथा ग्राम उमठी की आराजी नम्बर 97 किस्म नाडी की पूर्व स्थिति कायम कराई जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित तथा अप्रार्थी 02 संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुड़ावत द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थित दी।

अधिवक्ता निगराकार ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निगरानी याचिका में वर्णित समस्त तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 41 दिनांक 20.12.2004 जो पत्रावली संख्या 69 के जरिये जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे तथा ग्राम उमठी की आराजी नम्बर 97 किस्म नाडी की पूर्व स्थिति कायम कराई जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 ने मौखिक बहस न कर लिखित बहस पेश करने हेतु निवेदन किया किन्तु बार–बार न्यायालय द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के उपरान्त भी अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नही की गई।

अधिवक्ता निगराकार की लिखित बहस व पत्रावली के गुणावगुण पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत पीपलांत्री द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अर्न्तगत बने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमो के तहत श्रीमती समुन्द्र बाई पत्नी कानसिंह राव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 20.12.2004 के विरूद्ध निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत पीपलांत्री ने ग्राम उमठी के आराजी नम्बर 97 किस्म नाडी की भूमि को गलत रूप से आराजी नम्बर 235/9 की भूमि बताते हुए प्रश्नगत पट्टा जारी किया।

न्यायालय जिला कलक्टर

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं संलग्न समस्त दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया। ग्राम पंचायत पीपलांत्री की पट्टा पत्रावली के अवलोकन पाया कि विपक्षी श्रीमती समुन्द्र बाई पत्नी कानसिंह राव द्वारा ग्राम उमठी की आबादी भूमि आराजी नम्बर 235/9 में अपने 25 वर्ष पुराने कब्जेशुदा भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत पीपलांत्री के समक्ष नोटेरीशुदा शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत पीपलांत्री द्वारा विधिवत् पत्रावली संधारित की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आपत्ति आहवान पत्र जारी किया जाकर विपक्षी के कब्जेशुदा भूखण्ड का पंचो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया व मौतबिरान के बयान लिए गए तत्पश्चात पंचातय कौरम में प्रस्ताव लिया जाकर विपक्षी श्रीमती समुन्द्र बाई पत्नी कानसिंह राव के पक्ष में आवासीय भूखण्ड का तथाकथित पट्टा जारी किया गयां। पट्टे में यह वर्णित किया गया कि उक्त भूखण्ड ग्राम उमठी के आराजी नम्बर 235/9 में स्थित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने बाबत प्रेषित पत्रावली में सभी प्रक्रियाओं की पालना किया जाना पाया गया। निगराकार द्वारा अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को सिद्ध करने का दायित्व अधिवक्ता निगराकार का था परन्तु अधिवक्ता निगराकर द्वारा निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पट्टा लगभग 20 वर्ष पूर्व जारी किया गया था तथा 20 वर्षो के असाधारण विलम्ब के लिए भी निगराकार द्वारा कोई साक्ष्य/आधार प्रस्तुत नही किये। अतः निगराकर द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

13/1/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद